न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— **मुकेश बारेठ** आर.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या :— 133/2018

1. नसीब कौर पत्नी श्री मुकन्द सिंह आयु 70 वर्ष जाति जटसिख साकिन मोहनपुरा हाल कमरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लाभ सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह आयु 50 वर्ष जाति जटसिख साकिन मोहनपुरा हाल कमरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— — वादीगण

—:: बनाम ::—

1. सरदूल सिंह पुत्र श्री जगसिंह जाति जटसिख साकिन कमरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।
2. अमरजीत कौर पत्नी लाभ सिंह जाति जटसिख साकिन कमरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कुलदीप सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति जटसिख साकिन कमरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. अमनदीप सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति जटसिख साकिन कमरानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. गुरमीत कौर पुत्री श्री बदन सिंह पत्नी श्री मोहता सिंह जाति जटसिख साकिन 7 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. उजागर सिंह पुत्र श्री जयमल सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. गुरचरण पाल सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
9. शाखा प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा हनुमानगढ़।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. घोषणा, विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता — वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 21.01.2019
   प्रतिवादी संख्या 8
3. पैरोकार राज

दिनांक :— 10.05.2019

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या **1** ता 7 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 54/25 का मुरब्बा नम्बर 13, 14 व 20 की कुल 12.651 हैक्टर नहरी मय बारानी कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। जिसमें वादीया नसीब कौर के नाम से 3.756 हैक्टर व वादी लाभ सिंह के नाम से 1.557 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण दोनों के नाम से कुल 5.313 हैक्टर यानि 21—00 बीघा कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अर्सा दराज पूर्व उक्त रकबा का मौखिक रूप से घरू बंटवारा कर लिया था तथा वादीगण को उक्त भूमि में से घरू बंटवारा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 5 ता 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 5.313 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्राप्त है तथा वादीगण उक्त रकबा पर पिछले काफी अर्सा से काबिज चले आ रहे है तथा काश्त कर रहे है। वादीगण ने भारी मेहनत कर व काफी धन खर्च करके उक्त रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं तथा वर्तमान में रकबा काफी उपजाउ व कीमत बन चुका है, वादीगण विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा कर अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने रहने से वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे तथा मामला लगान अदायगी पानी बारी के समय आदि को लेकर भी हमेशा विवाद बना रहता है, इसलिए वादीगण उक्त वर्णित कब्जानुसार बटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में किलेवाईज दर्ज करवाने व अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का घरू बंटवारानुसार व कब्जानुसार करवाने के लिए कई बार आग्रह किया है, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहें, मगर अब प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है। तथा उन्होने दिनांक 10.08.2018 को सहमति से खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है। उक्त परिस्थितियों में वादीगण कब्जानुसार विभाजन की डिक्री प्राप्त करने व स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करने के हकदार हैं कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहें तथा बिना विभाजन करवाए वादग्रस्त को रहन बैय एवं हस्तातंरित करने से निषिद्ध रहें। अतः वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :-

1. चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 54/25 का मुरब्बा नम्बर 13, 14 व 20 की कुल 12.651 हैक्टर नहरी मय बारानी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5 ता 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 5.313 हैक्टर कृषि भूमि में से वादीया नसीब कौर को 3.756 हैक्टर व वादी लाभ सिंह को 1.557 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाकर अलग खाता कायम करवाया जावे।
2. स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की पारित किया जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहें तथा बिना विभाजन करवाए वादग्रस्त को रहन बैय एवं हस्तातंरित करने से निषिद्ध रहें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 7 ता 9 की तलबी विधिवत होनें तथा प्रतिवादी संख्या 6 की तलबी विधिवत् नहीं होनें के कारण जरिये स्थानिय समाचार पत्र (सीमा सन्देश) से करवाये जानें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आनें पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 9 के विरूद्ध दिनांक 21.01.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 8 पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि चक 7 वाई के खाता संख्या 54/25 मुरब्बा नम्बर 13, 14, 20 की कुल 12.651 हैक्टर भूमि मे वादी नसीबकौर का 3.756 हैक्टर हिस्सा एवम् वादी संख्या 2 लासभसिंह का 1.527 हैक्टर हिस्सा जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज है अतः वादी संख्या 1 व 2 कर कुल 3.756 + 1.557 कुल 5.313 हैक्टर का अलग खाता कायम किया जाता है, तो स्टेट को कोई एतराज नहीं है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कायवाही होनें से प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकीयात कायम नहीं की गई वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौरानें बहस वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि वादी मुताबिक राजस्व अभिलेख रिकार्डेड सहखातेदार है तथा अपनें हिस्से तक की भूमि का खाता विभाजन करवानें के अधिकारी है अतः वादीगण के हिस्से की भूमि का खाता विभाजन किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादी विवादित आराजी में सहखातेदार है तथा अपनें हिस्से तक की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है।

चुँकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 9 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के सन्दर्भ में तहसीलदार श्रीगंगानगर से विवादित आराजी का विभाजन प्रस्स्ताव प्राप्त किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमांक भू.अ./2019/713 दिनांक 06.03.2019 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार यदि वाद डिक्री किया जाता है तो वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है इस बाबत अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित में सहमति दर्ज की गई।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 54/25 का मुरब्बा नम्बर 13, 14 व 20 की कुल 12.651 हैक्टर नहरी मय बारानी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5 ता 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 5.313 हैक्टर कृषि भूमि में से वादीया नसीब कौर को 3.756 हैक्टर व वादी लाभ सिंह को 1.557 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 10.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर(राज.)